



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 73/2012

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रेवतराम पुत्र श्री पोकरराम		1. पानीदेवी बेवा बाबूराम
2. श्रवणराम पुत्र श्री पोकरराम जाति राईका निवासीगण हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		2. सायरराम पुत्र फुसाराम
		3. पदमाराम पुत्र फुसाराम
		4. सुखाराम पुत्र फुसाराम
		5. चान्दु पुत्री फुसाराम
		6. सुगना पत्नी फुसाराम समस्त जातियान राईका निवासीगण हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
		7. उगमाराम पुत्र झुंझारराम जाति राईका, निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
		8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, (भूमिधारी) तहसील बिलाड़ा

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 24.05.2017

पत्रावली आज बमुकाम हरियाढाणा राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई। उपरोक्त राजस्व विविध प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के नोटिस प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये गये फिर भी अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायालय आदेश की पालना नहीं की। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। उपरोक्त राजस्व विविध प्रार्थना पत्र को राजस्व वाद संख्या 76/2012 के साथ नत्थी किया जावे। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा